संख्या– 99 /VI/2005–3(4)2005

प्रेषक,

ए0के0घोष
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक, पर्यटन
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–541/2–6–317/4–05,दिनांक 4 फरवरी,2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 में रू0 158.46 की लागत के मूल आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 125.30 लाख(रूपये एक करोड पच्चीस लाख तीस हजार मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 51.35(रूपये इकावन लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित योजनाओं हेतु व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0 स0	योजना का नाम	योजना का मूल लागत (रू0 लाख में)	टी0ए0सी0द्वारा अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रू0 में)	निर्माण इकाई
1–	पिण्डारी ग्लेशियर का पर्यटन विकास के अन्तर्गत बेस कैम्प धाकूरी एवं द्वाली में आवासीय सुविधा का विस्तार	12.50	11.35	11.35	कुमॉऊ मण्डल विकास निगम
2–	लम्बगॉव में आधुनिक बस अड्डे का निर्माण	70.69	53.95	20.00	उत्तरांचल पेयजल निगम यूनिट–1 निर्माण विंग, देहरादून ।
3–	प्रतापनगर में सुनहरीगाड में भेनगी में पर्यटक आवास गृह का निर्माण	75.27	60.00	20.00	–तदैव–
	कुलयोग	158.46	125.30	51.35	

(रूपये इकावन लाख पैंतीस हजार मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर के ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र देने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

NIC 1512

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नामं से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

8– यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति न हुआ हो।इस हेतु सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

9– योजना/कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बंधित निर्माण एजेन्सी उक्त कार्य स्थल पर इस आशय का एक साइन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है । कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

10–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

11–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

12–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

13–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

14–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2005 तक उपयोग कर लिया जायेगा अन्यथा बची धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

16–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएँ–24– वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

17–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 585 /वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 01 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0के0घोष)
अपर सचिव

संख्या– /VI/2005–3(4)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, बागेश्वर/टिहरी गढ़वाल ।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, बागेश्वर/टिहरी गढ़वाल।
5– वित्त अनुभाग–3.
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

05/3/05

(ए0के0घोष)
अपर सचिव